।। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छ.ग.)।।

क्रमांक/1968/मान्यता/2025 — दुर्ग,दिनांक 11/4/2025

प्रति,

प्रबंधक,
शिक्षांतर एजुकेशन सोसायटी,भिलाई ।
जिला– दुर्ग (छ.ग.) ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 09/04/2025 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय क साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मे **दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग छ.ग.**(विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 01.04.2025 से 31.03.2028 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से 8वीं माध्यम **(अंग्रेजी)** के लिए अनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :–

1) मान्यता की स्वीकृत विरतारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है

2) विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधो का पालन करेगा।

3) विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

4) पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5) सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

6) विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबून न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय से उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

दो किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

तीन प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

पांच अधिनियम के उपबंधो 'च' के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

छः अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7) विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमो को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	97650 वर्ग फीट
कुल निर्मित का क्षेत्रफल	42000 वर्ग फीट
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	55000 वर्ग फीट
कक्षाओं की संख्या	21 कमरे

प्रधानपाठक सह–कार्यालय सह–भण्डार के लिए कक्ष 02 कमरा

बालको और बालिकायों के लिए पृथक शौचालय 08–08

बालको और बालिकायों के लिए पृथक शौचालय 08–08

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल वर्ग मीटर के स्थान पर वर्गफीट संशोधित किया गया है।

Asstt. Director
For, District Education Officer
Durg (C.G.)

PRINCIPAL
DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
CHARODA, BHILAI

For, DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
CHARODA BHILAI
CHAIRMAN

...जल सुविधा और
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई ——
बाधारहित पहुंच हों
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता:

9) विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

10) विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11) विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12) विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13) विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14) आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यां 105/201/24 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15) विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशो का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16) सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17) संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

PRINCIPAL
DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
CHARODA BHILAI

For, DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
CHARODA BHILAI
CHAIRMAN

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग //

–: आदेश :–

क्र./ 1969 /मान्यता/अनुमति/2025 दुर्ग, दिनांक 11.04.2025

छ.ग. शिक्षा संहिता के अध्याय 03 के नियम 33 के उपनियम (01) के तहत निम्नांकित अशासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल को निम्नलिखित सत्र 2025–26 से 03 वर्षों के लिए अधोलिखित शर्तों के अधीन कक्षोन्नति/विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है

क्र.	शाला का नाम	संचालक समिति का नाम	कक्षा	माध्यम	बोर्ड	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग छ.ग.	शिक्षांतर एजुकेशन सोसायटी, भिलाई जिला– दुर्ग (छ.ग.)।	9वी से 10वीं	अंग्रेजी	सी.जी.	संपूर्ण विषय

शर्तें :–

1. शाला भवन संचालित कक्षा संख्या के मान से पर्याप्त हो जिसमें शौचालय मूत्रालय एवं पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो।
2. विज्ञान संकाय संचालित होने की स्थिति में विषयवार 03 प्रयोगशाला कक्ष का होना आवश्यक है।
3. शाला की दर्ज संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम न हो अन्यथा मान्यता नहीं दी जा सकेगी।
4. शाला में स्टॉफ की नियुक्ति आवयक विषय के मान से रचनाक्रम अनुसार की जावें।
5. शाला में शैक्षणिक प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण पाठ्यक्रम अनुसार पर्याप्त हो।
6. वित्तीय अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जावें।
7. प्रारंभिक कक्षा से कक्षा 8वीं तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पूर्णतयाः पालन किया जावे।
8. शासन के निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो।

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

पृ.क्र./ 1970 /मान्यता/अनुमति/2025 दुर्ग, दिनांक 11.04.2025

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाटन, जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
3. नोडल प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. चरोदा, जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

For, DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
CHARODA BHILAI
CHAIRMAN

PRINCIPAL
DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
CHARODA, BHILAI